79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4323-एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-9-2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला देवास, प्रकरण क्रमांक 22/स्व0निगरानी/12-13

1-रशीद खॉ पिता रसूल
2-रफीक खॉ पिता रसूल
3-हनीफ खॉ पिता रसूल
निवासीगण ग्राम बारोली तहसील सोनकच्छ
जिला देवास
4-खातून बी पुत्री रसूल खॉ
निवासी राधौगढ तहसील बागली जिला देवास
5-सन्नो बी पुत्री रसूल खॉ
निवासी सिया तहसील देवास जिला देवास
6-फैमीदा बी पुत्री रसूल खॉ
निवासी ग्राम सोनकच्छ जिला देवास

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा प्रभारी अधिकारी जन शिकायत शाखा,
कलेक्टारेट देवास म0प्र0
2-अजमेरी खॉ पिता मेहबुब खॉ (मृत वारिसान :-
निवासी नागझिरी सोनकच्छ तहसील सोनकच्छ
जिला देवास म0प्र0
1.राहत बी पति अजमेरी
2.आरिफ खॉ पिता अजमेरी
3.मोहसीन खॉ पिता अजमेरी
4.सूका पिता अजमेरी
निवासीगण नागझिरी सोनकच्छ जिला देवास
5.रेहाना पति कुरेश पिता अजमेरी
6.आशा बी पति मेहरबान खॉ पिता अजमेरी

7.रूखसाना पति नवीन पिता अजमेरी
निवासी अली आष्ठा जिला सिहोर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला देवास द्वारा पारित आदेश दि. 30-9-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 अजमेरी खॉ आत्मज मेहबुब खॉ द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश भोपाल को प्रस्तुत किया गया, कि उसके व उसके चाचा के सम्मिलित भूमि स्वामी स्वत्व की ग्राम बारोली स्थित 7.75 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित थी और उसके चाचा ने अवैध रूप से उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम अवैध रूप से दर्ज कराकर उसे भूमि के आधिपत्य से बंचित कर दिया है अत: उसे कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 16-6-2006 से उभयपक्षों के मध्य आपसी बटवारा स्वीकृत किया गया । अनावेदक क्रमांक 2 का कथन है कि वह अल्धा था इस कारण उसके हस्ताक्षर धोखे से करवा लिये है और उसका नाम खाते में से कम करवा दिया गया । तहसीलन्यायालयके आदेश के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा जॉच कराई जाकर प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर दिनांक 30-9-13 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अंतिम बहस के दिनांक को दोनों पक्ष को अनुपस्थित रहे है इसलिये आवेदकगण के निगरानी मेमों उठाये गये आधारो पर विचार किया जा रहा है तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर विचार किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) नायब तहसीलदार सोनकच्छ द्वारा विधिवत बटवारे के संबंध में आदेश पारित किया गया था और उक्त प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 की भी स्वीकृति थी, इसके उपरांत भी कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से उक्त निर्णय को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में वैधानिक एवं

घटनात्मक त्रुटि की है । स्वमेव निगरानी में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को पक्ष समर्थन व साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं कूट परीक्षण का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है अपने अधिकार का अवैध रूप से उपयोग किया है ।

(3) अनावेदक क्रमांक 2 अजमेरी खॉं के पिता मेहबूब खां के जीवनकाल में उसके हिस्से में आयी कृषि भूमि उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वाराविक्रय कर दी थी और चूँकि राजस्व अभिलेख में उस समय जिनका नाम था और जिन्होंने विक्रय मूल्य लेकर जमीन नहीं बेची थी, उनकी स्वीकृति के हस्ताक्षर कराये गये थे । विक्रय पत्र में उल्लेखित धनराशि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वर्गीयपिता मेहबूबखॉं ने प्राप्त की थी मेहबूब खां स्वयं द्वारा उसके जीवनकाल में मनोहरलाल यादव को 5 बीघा भूमि मोहम्मद खॉं को 8 बीघा और भागीरथको सवा दो बीघा भूमि कुल 15 बीघा 5 विस्वा भूमि विक्रय की थी ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखतमों को अनदेखा कर निगरानीग्रस्त आदेश दिया हैं । प्रकरण की वस्तु स्थिति में घटना क्रम को दृष्टिगत रखते हुये निगरानीग्रस्त आदेश शून्यवत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) उपरोक्त कृषि भूमि में आवेदक के पिता एवं उनके दो भाई जिनके भाई क्रमश: मेहबूब खॉं एवं कल्लू खॉं थे, प्रत्येक के हिस्से में 1/3 के हिसाब से 20 बीघा 12 विस्वा के लगभग भूमि आई थी परन्तु आवेदकगण द्वारा षड़यंत्र करके अजमेरी खॉं एवं उनकी बहनों का नाम बिना किसी आधार के कम करवा दिया गया और अजमेरी खॉं के साथ धोखा किया गया इसके कारण भी उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण द्वारा छलकपट करके अपने नाम पर उक्त कृषि भूमि करवाई गई है अनावेदक क्रमांक 2 के साथ धोखा किया गया है इस कारण भी कलेक्टर द्वारा दिया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक क्रमांक 2 की मृत्यु वर्ष 2007 को हो चुकी है इसलिये उनके वारिसन का नाम अजमेरी खॉं की जगह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय करना बताया गया है वह संयुक्त खाते की भूमि होकर सभी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर सम्मिलित रूप से विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त किया गया है । नामान्तरण पंजी की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2007 में रसुल खॉ की मृत्यु हो जाने के उपरांत दिनांक 12-3-2007 को उसके स्थान पर उसके वारिसान अर्थात् आवेदकों को नामान्तरण स्वीकृति हेतु नामान्तरण पंजी में प्रकरण दर्ज किया गया है तथा दिनांक 6-4-2007 को मृतक रसुल खॉ के स्थान पर उसके वारिसान आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया जा चुका था और इसके पश्चात् मृतक रसुल खॉ के पक्ष में दिनांक 28-4-07 को निष्पादित इकरारनामे की छायाप्रति में अजमेरी खॉ व उसकी बहनों की ओर से यह उल्लेख किया गया है कि उनके नाम के सर्वे नम्बर की भूमि उनके द्वारा रसुल खॉ को बेच दी गई है और उसका प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया गया है, जबकि दिनांक 28-4-2007 को रसूल खॉ जीवित ही नहीं था । इससे स्पष्ट है कि इकरारनामा फर्जी है। इसलिये कलेक्टर द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-2006 निरस्त कर अनावेदक एवं उसकी बहनों के नाम व रसुल खॉ के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि संगत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर